बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विशेष विंग

प्रीलिम्स के लिये

भारतीय रिज़र्व बैंक, यस बैंक संकट

मेन्स के लिये

बैंकिंग धोखाधड़ी का बैंकिंग व्यवस्था पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी करने के लिये एक विशेष विंग स्थापित करने की प्रक्रिया में है, इस विंग में मेटा-डेटा (Meta-Data) प्रोसेसिंग और विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रिस्क असेसमेंट (Risk Assessment) से संबंधित टीमें होंगी।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा रिज़र्व बैंक निजी क्षेत्र से विशिष्ट विषयों (मेटा-डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिस्क असेसमेंट आदि) पर कार्य करने वाले विशेषज्ञों की भी सहायता लेने पर विचार कर रहा है, ताकि इस विंग में शामिल होने वाले नए सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा सके।
- आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस विंग का गठन आगामी माह तक किया जाएगा और इसकी क्षमता लगभग 600 अधिकारियों की होगी।

कारण

- ध्यातव्य है कि बीते दिनों 'यस बैंक' संकट काफी चर्चा में रहा था और 'यस बैंक' गंभीर वित्त समस्याओं का सामना कर रहा था, जिसके कारण बैंक के खाताधारकों पर 50000 रुपए प्रतिमाह निकासी की सीमा आरोपित कर दी गई थी।
    - ऐसे में खाताधारकों के सामने मुद्रा का संकट गहरा गया है।
- उल्लेखनीय है कि बीते कुछ वर्षों में बैंकों द्वारा दिये जा रहे ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non Performing Assets-NPAs) में बदल गए हैं। 'यस बैंक' द्वारा भी रिलायंस ग्रुप, IL&FS, DHFL, जेट एयरवेज़, एस्सार शिपिंग, कैफे कॉफी डे जैसी कंपनियों को लोन दिया गया, जो बाद में NPA में बदल गया।
- विश्लेषकों के अनुसार, 'यस बैंक' संकट के पश्चात् ही बैंकिंग धोखाधड़ी की निगरानी हेतु विंग की स्थापना का विचार और प्रबल हो गया है।

पृष्ठभूमि

- RBI के शीर्ष प्रबंधन द्वारा सर्वप्रथम अक्तूबर 2019 में बैंकिंग धोखाधड़ी विंग के गठन पर विचार किया गया था।
- हालाँकि, उस समय कार्य की परिस्थितियाँ काफी सख्त थीं, जिसके कारण किसी भी इतने बड़े दल का गठन नहीं किया जा सकता था।
- इस समस्या से निपटने के लिये RBI ने संपूर्ण विंग के गठन और उसमें नए लोगों को नियुक्त करने पर विचार शुरू किया, जिसमें उद्योग के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे और टीमों का नेतृत्व करेंगे।
- RBI के अनुसार, विंग की नई टीमों को नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे एक नए 'यस बैंक' संकट का जन्म होने से रोक सकें।

'यस बैंक' संकट

- वित्तीय संकट के पश्चात् RBI ने 5 मार्च को 'यस बैंक' के बोर्ड को निरस्त कर दिया था। साथ ही बैंक के नकद निकासी की सीमा भी निर्धारित कर

दी थी।

- साथ ही RBI ने भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India-SBI) के पूर्व मुख्य वत्तिीय अधिकारी प्रशांत कुमार को 'यस बैंक' का प्रशासक नयिुक्त कर दिया।
- इसके पश्चात् RBI ने 'यस बैंक' के लिये एक पुनर्नरि्माण योजना का खुलासा कयिा, जसिमें SBI द्वारा 'यस बैंक' की 49 प्रतशित हसि्सेदारी खरीदने की संभावना व्यक्त की गई।
- बाद में SBI ने 'यस बैंक' में 7,250 करोड़ रुपए तक के नविश की प्रतबिद्धता व्यक्त की।

आगे की राह

- बैंकगि धोखाधड़ी की नगिरानी के लिये गठति की जा रही वगि अवश्य ही भवषि्य में बैंकगि धोखाधड़ी को रोकने में सहायक होगी।
- आवश्यक है कि इस वगि के गठन और इसके क्रयिान्वयन पर यथासंभव ध्यान दिया जाए, ताकि यह वगि भारत की बैंकगि व्यवस्था के वकिास में अपना योगदान दे सके।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/reserve-bank-setting-up-exclusive-wing-for-banking-fraud-oversight